I/1496/2023

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)

(1 अक्टूबर, 2023 से लागू)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली- 110003

I/1496/2023

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)

1. पृष्ठभूमि

दिव्यांगजन शिक्षा प्राप्त करने में, रोजगार-योग्य कौशल विकसित करने में और लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। जबकि भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का हस्ताक्षरकर्ता है; दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में दिव्यांगता पर भी विचार किया गया है; लक्ष्य 4 में सभी के लिए समावेशी और उचित गुणवत्तापरक शिक्षा तथा आजीवन अधिगम अवसरों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसमें शिक्षा में लैंगिक (जेंडर) असमानताओं को दूर करने और दिव्यांगजनों सहित कमजोर/असुरक्षित लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर समान पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें ऐसे शैक्षिक भवनों के निर्माण और उन्हें अपग्रेड करने पर भी जोर दिया गया है जो बच्चों, दिव्यांगता और जेंडर संवेदी है तथा सभी को सुरक्षित, अहिंसात्मक, समावेशी और प्रभावी अधिगम वातावरण भी प्रदान करते हैं। लक्ष्य 8 का उद्देश्य दिव्यांगजनों के साथ-साथ सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए सतत, समावेशी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार एवं सम्मानीय काम तथा समान मूल्य वाले काम के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करना है।

2. दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं

भारत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) को अपनाया है और इसे कार्यान्वित कर रहा है। इस अधिनियम का अध्याय III व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार से संबंधित है तथा इसमें यह निर्धारित किया गया है कि उपयुक्त सरकार दिव्यांगजनों के लिए रोजगार को सुगम बनाने और उसके लिए सहायता प्रदान के लिए, विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर स्व-रोजगार के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करेगी । इन योजनाओं और कार्यक्रमों में मुख्यधारा के सभी औपचारिक एवं गैर-औपचारिक व्यावसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण योजनाओं एवं कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के समावेशन के लिए बाजार के साथ सक्रिय लिंक बनाते हुए विशेष रूप से विकासात्मक, बौद्धिक, बहु-दिव्यांगता तथा ऑटिज्म ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

3. बड़ा अंतर

जनगणना, 2011 के अनुसार, भारत में कुल 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (1.50 करोड़ पुरूष और 1.18 करोड़ महिला दिव्यांगजन)। लगभग 1.34 करोड़ दिव्यांगजन 15 से 59 वर्ष की रोजगार-योग्य आयु में हैं तथा रोजगार योग्य आयु समूह में लगभग 99 लाख ऐसे दिव्यांगजन हैं जो काम नहीं करते हैं या बहुत कम काम करने वाले हैं। फिर भी, भारत की जनसंख्या में दिव्यांगजनों का महत्वपूर्ण प्रतिशत है, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने की उनकी आवश्यकता को मुख्य रूप से अब भी पूरा नहीं किया गया है। समस्त जनसंख्या में, दिव्यांगजनों की संख्या आनुपातिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, जो स्पष्ट रूप से सामान्य गरीबी के कारण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच के कारण है। इसके परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में दिव्यांगजन मुख्य रूप से कौशल तथा बाजार से अलग हैं जिसने उन्हें जनसंख्या में सबसे अधिक गरीब बना दिया है।

4. दिव्यांगजनों को कौशल बनाने का लाभ

जबकि दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्तापरक जीवन को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करना एक महत्वपूर्ण अंश है, इसमें बृहतर किफ़ायत के लिए पर्याप्त लाभ भी शामिल है। वैयक्तिक और समाज के लिए पर्याप्त लागत,

दिव्यांगजनों के लिए अल्प रोजगार परिणामों के साथ जुड़ी हुई हैं। व्यक्तियों और परिवार के लाभों के अलावा, श्रमिक बल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक दृढ़ आर्थिक अनिवार्यता भी है जो देश में कौशल श्रमिक बल से संबंधित कमी को दूर करने में मदद करेगी, जबकि उसी समय यह स्वतं कल्याण निर्भरता से जुड़े आर्थिक दबावों को कम करेगी।

5. दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

केवल दिव्यांगजनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च नियोजनीयता के साथ गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 2015 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक समिर्पित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का शुभारंभ किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन देशभर में अम्ब्रेला योजना सिपडा के एक घटक के रूप में किया जाता है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:-

क. दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने के लिए; दिव्यांगजनों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें गुणवत्तापरक व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान बनाना।

ख. दिव्यांगजनों को समाज का आत्म-निर्भर, उपयोगी और योगदानकर्त्ता सदस्य बनने तथा अपने पैरों पर खड़े होने में उन्हें सक्षम बनाना।

6. इस योजना की विशेषताएं

(i) राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के तहत, सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/वीआरसी, निजी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व में कौशल प्रशिक्षण (अल्पकालिक/दीर्घकालिक) भागीदारों के एक नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देशभर में फैले उच्च रोजगार अनुपात सहित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में एक प्रतिष्ठित ट्रैक रिकार्ड वाले प्रशिक्षण भागीदारों के एक क्लस्टर द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत नैशनल स्किल डिवलेपमेंट कोर्पोरेशन (एनएसडीसी) और निजी क्षेत्र के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित, पृथक क्रास कटिंग सेक्टर कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) का सृजन किया गया है।

दिव्यांगजनों को स्व-नियोजित बनने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर की उद्यमिता बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा मेंटरशिप परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। औद्योगिक परिसंघ, क्षेत्रवार संघ, डोमेन विशेषज्ञ और अन्य प्रासंगिक संगठन दिव्यांगजनों को दिव्यांगता विशिष्ट मेंटरशिप के अवसर प्रदान करेंगे।

डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएंगी –

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूल्यांकन
- पाठ्यसामग्री तैयार करना और सामग्री का सृजन करना,
- मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण
- उद्यमिता विकास हेतु संरक्षण (मेंटरशिप)
- नियोजन और नियोक्ता के बीच संबंध स्थापित करना
- प्रशासन, नौकरी, ई-अधिगम आदि हेतु पोर्टल के विकास और रखरखाव के लिए आईटी सहायता।

I/1496/2023

(ii) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों को परिणाम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7. अन्य कौशल संबंधी पहलों के लिए सहायता

क. पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल)

यह विभाग बिना किसी औपचारिक शिक्षा और कौशल के असंगठित क्षेत्र में नियोजित दिव्यांग श्रमबल के औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनएपी के तहत आरपीएल भी लागू करता है। इसके अलावा, आरपीएल के तहत नियोजित दिव्यांगजनों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण भी किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रशिक्षण भागीदार से विभाग के साथ सूचीबद्ध होने के पश्चात, यह अपेक्षा की जाएगी की वह इस विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आरपीएल प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

ख. विशेष परियोजनाएं

विशेष परियोजनाओं का उद्देश्य कैप्टिव प्लेसमेंट और / अथवा / उद्यमिता अवसरों की पेशकश करने वाली प्रतिष्ठित उद्योग निकायो/मेंटर्स के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए परियोजना आधारित कौशल हस्तक्षेपों (इंटरवेंशन) को शुरू करना है। इसमें प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के भर्ती-प्रशिक्षण-नियुक्ति मॉडल के साथ-साथ उद्यमिता, रोजगारपरक / जीवन कौशल प्रशिक्षण के लिए मेंटरशिप आधारित प्रशिक्षण परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं को अनाधिकारिक क्षेत्रों में और नॉन-एनसीवीईटी जॉब रोल में शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव करने वाले स्टेकहोल्डर केंद्र अथवा राज्य सरकार (सरकारें) के संस्थान, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय अथवा समतुल्य किसी अन्य निकाय अथवा निगम/कम्पनी या गैर-सरकारी संगठन अथवा विशेषज्ञ/मेंटर हो सकते हैं जो दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण और रोजगार/स्व रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव एकीकृत वित्त प्रभाव के परामर्श से प्रशासनिक अनुमोदन हेतु संबंधित प्रत्यायोजित शक्तियों वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत राशि के अनुसार एनएपी-एसडीपी के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से मामला-दर-मामला आधार पर वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।

ग. क्षमता निर्माण हेतु पहल

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायक पारिस्थितिकी-प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियां की जाएगी। इसमें दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक मानव संसाधन (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि) का विकास करना, सुगम्य पाठ्यक्रम सामग्री (डिजीटल/बौद्धिक) का विकास करना, नियोक्ताओं के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण संगठन, दिव्यांगजन आदि शामिल होंगे। इस प्रकार की सभी पहलों/गतिविधियों का इस योजना के तहत सहायक अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा।

8. कार्यक्षेत्र

क) इस योजना के तहत उन दिव्यांगजनों को शामिल किया जाएगा जो न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग है और जिनके पास यूडीआईडी कार्ड अथवा यूडीआईडी नामांकन संख्या तथा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र है।

ख) समान अवसर : महिला उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के तहत सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, देश में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के अनुमानित अनुपात/वितरण के अनुसार कौशल प्रशिक्षण हेतु दिव्यांगजनों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा ।

9. प्रशिक्षुओं की पात्रता

(क) भारत का नागरिक,
(ख) कम से कम 40% दिव्यांगता* ग्रस्त दिव्यांगजन और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित दस्तावेज है-

- यूडीआईडी कार्ड नंबर या यूडीआईडी नामांकन संख्या और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (ईटीपी यूडीआईडी पोर्टल "www.swavlambancard.gov.in" पर ऐसे सभी प्रशिक्षुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है।)
- आधार नंबर या आधार नामांकन संख्या ।

* दिव्यांगता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है जिसे ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 (ञ) और / या लागू किसी भी प्रासंगिक विधानन के साथ पढ़ा जाना है।

(ग) आयु: पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि के समय 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए।

(घ) आवेदक द्वारा आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान विभाग के दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत प्रायोजित किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं किया गया हो।
(ड.) पाठ्यक्रम एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रम होंगे जिनकी वैध समय अवधि nqr.gov.in पर उपलब्ध है। क्यूपी फ़ाइल में पाठ्यक्रम के तहत कवर की गई आयु, योग्यता और दिव्यांगता के प्रकार का पूरी तरह से पालन किया गया हो।

10. कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण भागीदारों) की पात्रता

(क) इस योजना को कार्यान्वयन संगठनों/संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाएगा, यहां इसके बाद से ''प्रशिक्षण भागीदार'' के रूप में उल्लिखित है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के संगठन पात्र होंगे :-

i. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग, अथवा
ii. केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, अथवा
iii. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन जैसे एमएसजे एंड ई के तहत नैशनल दिव्यांगजन फाइनैंस डेवलेप्मेंट कार्पोरेशन (एनडीएफडीसी), भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), राष्ट्रीय संस्थान और उनके समेकित क्षेत्रीय केंद्र, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, प्रचार-प्रसार (आउटरीच केंद्र)।
iv. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956**/2013** के तहत पंजीकृत संगठन, संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर्स)/लिमिटेड

लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) जो केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग अथवा इनके तहत अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

v. समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से राज्य कौशल विकास मिशन/परिषद।

vi. मैट्रिक (10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण दिव्यांग छात्रों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले विशेष स्कूलों / समावेशी स्कूलों को कौशल प्रशिक्षण परियोजनाओं को चलाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) उपर्युक्त 11 (क) (iv या v) के तहत कवर किए गए संगठनों के मामले में, संगठन को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के मामले में, उन्हें **नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल** पर पंजीकृत होना चाहिए और एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करनी चाहिए। अनुदान के लिए आवेदन के समय एनजीओ द्वारा विशिष्ट आईडी अनिवार्य रूप से दर्शाना चाहिए।

11. आवेदन और चयन की प्रक्रिया

चरण I

क. इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट) आमंत्रित की जाएगी। योजना के तहत विभाग के पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक संगठनों को पीएम दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल पर " अभिरुचि की अभिव्यक्ति" (ईओआई) और परियोजना विशिष्ट प्रस्ताव (पीएसपी) फॉर्म भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया के विवरण के साथ यूजर मैनुअल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और उन्हें एक चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो प्रशिक्षण भागीदार के रूप में पैनलबद्ध किए जाने वाले संगठनों का चयन करेगी तथा चयन समिति और विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लक्ष्यों का आवंटन करेगी, जिसमें पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध मानव संसाधन और अन्य समान प्रासंगिक विचार शामिल हैं। संगठनों और अनुमोदित परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

ख. (i) विभाग प्रशिक्षण केंद्रों के वैधीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों पर पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित किया जा सके। दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रशिक्षण केन्द्रों का सत्यापन अनिवार्य है। केंद्र के सत्यापन के लिए प्रशिक्षण भागीदार द्वारा देय शुल्क के साथ विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी का विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ii) प्रशिक्षण भागीदारों का चयन और पीएसपी का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया होगी और बाजार में नौकरी (जॉब) की मांग पर आधारित होगी।

ग. एनडीएफडीसी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी और चयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां केंद्रीय

नोडल एजेंसी के माध्यम से विभाग द्वारा एनडीएफडीसी को जारी सहायता अनुदान में से एनडीएफडीसी के माध्यम से जारी की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण के सभी घटकों पर एनडीएफडीसी द्वारा संवितरित कुल निधियों का 1% एनडीएफडीसी को प्रशासनिक लागत के रूप में जारी किया जाएगा जिसका उपयोग एनडीएफडीसी द्वारा कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिए आवश्यक मानव संसाधन की नियुक्ति पर व्यय के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी :

(क) यह योजना पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से लागू की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल प्रदान करने में कोई व्यवधान न हो, जब तक कि इस योजना को पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से उपयोग हेतु नहीं लाया जाता है, तब तक डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा मौजूदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से इसको उपयोग हेतु पोर्टल पर लाने का कार्य नवंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) चूंकि पीएम दक्ष पोर्टल (वित्त वर्ष 2023-2024 से) पर योजना को शामिल करने के बाद एनडीएफडीसी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी, इसलिए 2015-16 से 2022-23 वर्ष से संबंधित सहायता अनुदान के पुराने मामलों का निपटान विभाग द्वारा किया जाएगा और जहां भी आवश्यक हो, आईएफडी के परामर्श से ई-ऑफिस के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा ।

घ. (क) **चयन समिति की संरचना :** प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने वाली समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1)	डीईपीडब्ल्यूडी के संबंधित संयुक्त सचिव / उप महानिदेशक	अध्यक्ष
2)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार/ निदेशक / उप सचिव (आईएफडी)	सदस्य
3)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नामित कोई भी अधिकारी जो निदेशक/उप सचिव के पद से नीचे का न हो।	सदस्य
4)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन	सदस्य
5)	डीईपीडब्ल्यूडी में संबंधित निदेशक/ उप सचिव	सदस्य-संयोजक
6)	निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि - i राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), ii. भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), iii. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	सदस्य

I/1496/2023

7)	दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
8)	दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनका दिव्यांगजन युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नियोक्ताओं के साथ अच्छा संबंध रखने का ट्रैक रिकॉर्ड है। (विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करना)। ये सदस्य चयन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए विभाग द्वारा सहयोजित सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।	सदस्य

(ख) समिति जब भी आवश्यक समझे, किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है ।

(ग) समिति आवधिक बैठकें (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) आयोजित करेगी ताकि इन संगठनों के बीच उन संगठनों का चयन किया जा सके, जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं और जिन्हें प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किया जाना है।

(घ) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में पैनलबद्ध किया जाएगा।

(ड.) चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक के समकक्ष अधिकारी के लिए स्वीकार्य दरों पर टी.ए./डी.ए. के हकदार होंगे।

चरण II

ङ. (क) पैनलबद्ध के बाद और प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने पर, ईटीपी को एससीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से केंद्रों को मान्य करना होगा।

(ख) सफल केंद्र सत्यापन पर, एनडीएफडीसी पाठ्यक्रम विवरण की समीक्षा और अनुमोदन करेगा। ईटीपी को प्रारंभ पत्र जारी किए जाएंगे।

(ग) छात्र पीएम दक्ष पोर्टल के माध्यम से एक विशेष केंद्र पर स्वयं को नामांकित करेंगे। जैसे ही दिव्यांगजनों की आवंटित संख्या पूरी हो जाती है, ईटीपी को एनडीएफडीसी के अनुमोदन के बाद प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद, आधार सक्षम उपस्थिति के आधार पर दिव्यांगजनों के डीबीटी सहित पहली किस्त की प्रक्रिया की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना शुरू किए गए प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रमाणित प्रशिक्षकों को वैध नहीं माना जाएगा। एनसीवीटी द्वारा पाठ्यक्रम क्यूपी में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षकों को संबंधित डोमेन एसएससी और एससीपीडब्ल्यूडी में प्रमाणित किया जाना चाहिए। पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदार को हर दिन छात्रों और प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाए रखनी होती है। प्रशिक्षकों के सही संपर्क नंबर और ईमेल आईडी प्रदान किए जाने चाहिए।

(घ) जब एक बैच का प्रशिक्षण और परीक्षा पूरी हो जाती है, तब ईटीपी पहले से मान्यता प्राप्त केंद्रों पर नए बैच (बैचों) को प्रशिक्षित करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

I/1496/2023

12. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

(क) दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद दिव्यांगजनों की उपयुक्तता के अनुसार अन्य क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित रोजगार भूमिकाओं (जॉब रोल) को विकसित करेगी या उसके अनुसार जॉब रोल बनाएगी ।

(ख) प्रशिक्षण आमतौर पर एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा विकसित एनएसक्यूएफ अनुरूप पाठ्यक्रमों और एनसीवीईटी द्वारा विधिवत अनुमोदित अन्य क्षेत्र कौशल परिषदों में प्रदान किया जाएगा।

(ग) विशिष्ट कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) मॉडल का अनुपालन करते हुए विशेष पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम की अध्ययन सूची को उस कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है जिसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) पाठ्यक्रम के मॉड्यूल राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के आधार पर विकसित किए जाएंगे। एनओएस के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणन भी किया जाना चाहिए।

(ड.) एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित रोजगारपरक कौशल (ई.एस.) पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा और इसे डोमेन कौशल पाठ्यक्रम से पहले पढ़ाया जाना चाहिए ।

(च) ईटीपी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षक एनसीवीईटी द्वारा पाठ्यक्रम के योग्यता पैक में निर्धारित किए गए अनुसार न्यूनतम शिक्षा योग्यता मानदंड/अनुभव को पूरा करते हैं। ईटीपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षकों को संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(छ) मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रमुख रूपरेखा:

1. एससीपीडब्ल्यूडी या विभाग द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम के क्यूपी के अनुसार मूल्यांकन मानदंड nqr.gov.in पर उपलब्ध होगा।
3. एपीआई के माध्यम से मूल्यांकन एजेंसियों को डीईपीडब्ल्यूडी के साथ फाइलों और पूर्ण डेटा को साझा करने की आवश्यकता होगी।
4. परिणाम पीएम दक्ष पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। परिणाम और एनओएस वार मार्कशीट परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर छात्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्यांकनकर्ता एनसीवीईटी मानदंडों के अनुसार प्रमाणित हैं। मूल्यांकनकर्ताओं की फोटो और संपर्क विवरण परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर डीईपीडब्ल्यूडी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
6. परीक्षा के दिन अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे।

13. निधियन (फंडिंग) के नियम

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2015 और

दिनांक 20.05.2016 के अधिसूचना संख्या- एच-22011/2/2014-एसडीई-I के जरिए अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग लागत, परिवहन/वाहन लागत, तृतीय पक्ष प्रमाणन लागत, प्लेसमेंट के बाद सहायता आदि सहित संपूर्ण वित्त-पोषण मानदंडों के संबंध में *यथोचित परिवर्तनों सहित* लागू होगा।

14. मॉनिटरिंग और निरीक्षण

एनडीएफडीसी, विभाग के सीपीएमयू के समन्वयन से, प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग करेगा। प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित कोई भी तंत्र सभी प्रशिक्षण भागीदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

विभाग को जब भी आवश्यक हो, प्रशिक्षण भागीदारों के परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये निरीक्षण सीपीएमयू सहित विभाग के अधिकारियों या मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों और संस्थानों के माध्यम से या किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यूनतम 2% प्रशिक्षुओं का भौतिक निरीक्षण किया जाए।

15. कौशल विकास के लिए प्रशासनिक व्यय:

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए, सिपडा के तहत एनएपी-एसडीपी के लिए बजट अनुमान स्तर पर आवंटित बजट का 3% प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

क) कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिए अपेक्षित मानव संसाधन की नियुक्ति पर व्यय।

ख) लक्षित लाभार्थी समूह के बीच जागरूकता सृजन के लिए विज्ञापन और अन्य प्रचार सामग्री प्रकाशित करना।

ग) योजना की भौतिक/वर्चुअल मॉनिटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन का संचालन करना।

घ) योजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर/वेब-पोर्टल विकसित करना।

ङ) योजना के प्रति जागरूकता सृजन हेतु कार्यशाला, संगोष्ठी आयोजित करना और साहित्य का प्रकाशन आदि।

च) दिव्यांगजनों को कैरियर परामर्श और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता और सुविधा प्रदान करना।

उपर्युक्त व्यय अथवा एनएपी के कार्यान्वयन से संबंधित किसी अन्य व्यय को सिपडा योजना के अंतर्गत एनएपी के लिए बजट अनुमान स्तर पर आवंटित वार्षिक बजट के 2% से पूरा किया जाएगा।

छ) कौशल प्रशिक्षण के सभी घटकों पर एनएपी द्वारा संवितरित कुल निधियों का 1% एनडीएफडीसी को प्रशासनिक लागत के रूप में जारी किया जाएगा जिसका

उपयोग योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों की नियुक्ति पर व्यय के लिए किया जाएगा।

16. अन्य शर्तें

क) कार्यान्वयन एजेंसी यानी प्रशिक्षण भागीदार, योजना में प्रदान की गई अनुदान सहायता की शर्तों का पालन करेंगे।

ख) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित गैर-सरकारी संगठनों को नीति आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

ग) आईए लेखा विवरण (परियोजना के लिए) प्रदान करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, (क) प्राप्ति और भुगतान विवरण, (ख) आय और व्यय विवरण (ग) तुलन पत्र और (घ) मद-वार व्यय विवरण तथा तुलनात्मक विवरण के ब्यौरों की एक-एक प्रति शामिल होगी।

घ) यदि यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो प्रशिक्षुओं का विवरण यूडीआईडी कार्ड संख्या या यूडीआईडी कार्ड नामांकन संख्या और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ जोड़ा जाएगा।

ङ) दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान में उचित स्थान पर उनके द्वारा लागू की जा रही विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी, एमओएसजेई), भारत सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करेंगे।

च) प्लेसमेंट से जुड़ी अंतिम किस्त का भुगतान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित सामान्य मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

छ) सभी ईटीपी https://central.depwdst.ac.in पर अपने प्रशिक्षण केंद्र को पंजीकृत करेंगे और अपने प्रशिक्षुओं के साथ-साथ प्रशिक्षकों के लिए अपनी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू करेंगे।

ज) ईटीपी सीएनए मॉड्यूल में एनएपी के तहत प्राप्त निधि के संबंध में एक अलग बचत बैंक खाता बनाए रखेगा।

झ) यदि कोई ईटीपी प्लेसमेंट के प्रमाण में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या यदि प्लेसमेंट के संबंध में ईटीपी द्वारा साझा की गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो देय तीसरी किस्त के पूरे या एक हिस्से का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ञ) जो परियोजनाएं प्रारंभ पत्र/अनुमोदन की तारीख से दो महीने के भीतर शुरू नहीं होती हैं, वे स्वत: ही रद्द हो जाएंगी।

ट) केंद्रीय नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज अनिवार्य रूप से जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा कर दी गई है। ब्याज घटक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमआईएस में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा।

I/1496/2023

ठ) दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु स्थायी संचालन प्रक्रिया **अनुबंध-1** में दी गई है।

ड़) ईटीपी को उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए रोजगार के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाएगा:-

ईटीपी द्वारा प्रदान किया गया रोजगार (प्लेसमेंट)	70% या अधिक	70%-40%	40% से कम
ईटीपी को ग्रेडिंग	ए	बी	सी

17. समुचित समायोजन -

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-I, 2 (वाई) के अनुसार, "समुचित आवासन का अर्थ है किसी विशिष्ट दशा में विषमता या अनुचित बोझ डाले बिना आवश्यक और उचित संशोधन तथा समायोजन करना ताकि दिव्यांगजनों द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान आधिकारों का आनंद लिया जा सके और उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके"। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों को उचित आवासन प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए-

क. बौद्धिक दिव्यांगता वाले प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत कौशल योजना और व्यक्तिगत कार्य योजना विकसित की जानी चाहिए।
ख. प्रशिक्षण भागीदार को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के अलावा अतिरिक्त घंटे का प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। हालांकि, आयोजित प्रशिक्षण के अतिरिक्त घंटों के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाएगी।
ग. यदि उच्च सहायता वाले दिव्यांग प्रशिक्षु को केंद्र में उसके साथ जाने और प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।
घ. केंद्र के प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को दिव्यांगजन लाभार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

18. अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण।

कौशल विकास के घटक में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने का निर्णय लेता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास के घटक को सिपडा के तहत कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद बंद कर दिया गया है।

19. समीक्षा और मॉनिटरिंग

योजना के लिए गठित चयन समिति द्वारा दिशानिर्देशों/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

20. झूठी सूचना प्रस्तुत करना

I/1496/2023

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण भागीदार ने कोई गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किया है और वह गलत साबित किया जाता है, तो उसे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ खर्च की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

21. अभियोग

इन दिशा-निर्देशों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

22. दिशा-निर्देशों की समीक्षा

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वविवेक से जब भी आवश्यक हो इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

****

I/1496/2023

अनुबंध 1

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया

1. ईटीपी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर संबंधित केंद्रों को मान्य करना चाहिए।
2. पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदार द्वारा दिए गए कुल प्रस्तावित लक्ष्य के 40% में गतिविषयक दिव्यांगता के अलावा अन्य दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।
3. ईटीपी को प्रारंभ पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए।

बैच का विवरण

4. एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित क्यूपी के अनुसार बैचों में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 दिव्यांगजन उम्मीदवार शामिल होंगे।
5. उम्मीदवार पीएम दक्ष पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करेंगे। उम्मीदवार अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुन सकते हैं और अपनी रुचि के क्षेत्रों का विवरण भी साझा कर सकते हैं। पीएम दक्ष पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईटीपी आस-पास के दिव्यांगजनों द्वारा चुने गए रुचि क्षेत्र में बैच बनाने की संभावना का पता लगाएगा।
6. प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की तारीख तय करनी होगी; और उसके आधार पर सूचना स्वत: ही उन सभी उम्मीदवारों को प्राप्त होगी जिन्होंने प्रशिक्षण का विकल्प चुना था।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता

1. प्रशिक्षण केंद्रों पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण उपलब्ध होना चाहिए और उसे कार्यात्मक होना चाहिए, जिसके बिना बैच शुरू नहीं किया जा सकता है। सभी उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों को अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रत्येक दिन (अंदर आने और बाहर जाने का समय) लगानी/मार्क करनी चाहिए। यदि तकनीकी समस्या के कारण, प्रशिक्षक और उम्मीदवार अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ हैं, तो इस संबंध में उसी दिन शाम 5:00 बजे से पहले विभाग को सूचित करना होगा।
2. केंद्र के सभी कक्षाओं, सम्मेलन कक्षों, रिसेप्शन आदि में कार्यात्मक और दूरस्थ रूप से सुगम्य सीसीटीवी स्थापित किए जाने चाहिए।
3. बैच की शुरुआत में दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए एक ओरिएंटेशन आयोजित किया जाना चाहिए।
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित योग्यता पैक के अनुसार मॉडल पाठ्यक्रम का पालन किया जाना चाहिए।
5. सभी दिव्यांग प्रशिक्षुओं को शिक्षण सहायता अर्थात पुस्तकें (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में), लेखन सामग्री, अध्ययन सामग्री और पाठ योजना आदि प्रदान की

जानी चाहिए।

6. प्रमाणित प्रशिक्षक का नाम और फोटोग्राफ कक्षा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
7. प्रशिक्षण भागीदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण प्रारंभ और समाप्ति तिथि), पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षक का नाम, मूल्यांकन की तारीख और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।

<u>मूल्यांकन</u>

1. संबंधित बैचों का मूल्यांकन करने से पहले एससीपीडब्ल्यूडी/संबंधित पुरस्कार प्रदान करने वाली निकाय की सहायता से सभी दिव्यांगजनों का मॉक टेस्ट किया जाना चाहिए।
2. मूल्यांकन क्यूपी/जॉब रोल के अनुसार एनओएस पर आधारित होनी चाहिए।
3. उपस्थिति से जुड़े न्यूनतम 70% एईबीएएस उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन करने के लिए पात्र होने के लिए एक जरूरी है।
4. मूल्यांकन बैच समाप्त होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।
5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मूल्यांकन के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर एससीपीडब्ल्यूडी/पुरस्कार देने वाले निकाय को मूल्यांकन लागत जारी करेगा।
6. पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदार असफल छात्रों के लिए एक सप्ताह से दस दिनों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। एससीपीडब्ल्यूडी/संबंधित पुरस्कार देने वाले निकाय को ईटीपी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार एससीपीडब्ल्यूडी/संबंधित पुरस्कार निकाय अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण छात्रों का पुन मूल्यांकन करेगा। अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्यांकन की लागत केवल प्रशिक्षण भागीदार द्वारा वहन की जाएगी।
7. यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है, तो यह ईटीपी का कर्तव्य है कि वह ऐसे छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं रखे और उन्हें जल्द से जल्द पुनर्मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार करें।
8. यदि मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है, तो विभाग के अनुमोदन के बाद निकटतम कार्यात्मक प्रशिक्षण केन्द्र में मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।
9. सफल मूल्यांकन और परिणाम घोषणा के आधार पर, सभी उम्मीदवार मार्कशीट प्राप्त करने के हकदार हैं। मार्कशीट में एनओएस वार अंक और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त कुल स्कोर होना चाहिए।
10. मूल्यांकनकर्ता एससीपीडब्ल्यूडी अनुमोदित और केंद्र के आस-पास के स्थानों में रहने वाले होने चाहिए।

<u>जॉब प्रचार-प्रसार (आउटरीच) और प्लेसमेंट</u>

1. ईटीपी का प्लेसमेंट सेल सक्रिय होना चाहिए और परिसर भर्ती अभियान (कैम्पस रेक्रुट ड्राइव) सुनिश्चित करना चाहिए। स्वरोजगार या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक छात्रों को एनडीएफडीसी भेजना चाहिए।
2. जॉब प्रचार-प्रसार के एक भाग के रूप में, सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करनी चाहिए -
   i. जॉब रोल से संबंधित कंपनियों का पता लगाना और उद्योग का दौरा करना।
   ii. संबंधित जॉब रोल में इंटर्नशिप

I/1496/2023

iii. मध्य-इंटर्नशिप समीक्षा और फीडबैक कॉल ईटीपी द्वारा किए जाने चाहिए।
iv. ईटीपी को पीएम दक्ष पर उल्लिखित जॉब पोर्टलों के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करने में उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
v. पीएम दक्ष पोर्टल पर उम्मीदवार को जॉब /प्लेसमेंट का विवरण देना चाहिए।
vi. ईटीपी उम्मीदवार के प्लेसमेंट के बाद नियोक्ताओं के साथ सहकर्मी संवेदीकरण और दिव्यांगता संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं।

प्रशिक्षण भागीदार को किस्तें जारी करने की समय सीमा -

1. पहली किस्त:-

पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदार को बैच शुरू होने के बारे में विभाग को सूचित करना होगा और प्रशिक्षण शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पहली किस्त के लिए निधि जारी करने का अनुरोध करना होगा। पहली किस्त जारी करने के लिए विभाग द्वारा तीन दिनों की आधार आधारित उपस्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

- पहली किस्त ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाएगी। इस संबंध में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी में ही आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं को इस प्रणाली के साथ विधिवत संरेखित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के तुरंत बाद टीपी को भुगतान किया गया है।
- इसके बाद, दूसरी और तीसरी किस्त सामान्य मानदंडों के अनुसार उसी तरह जारी की जाएगी।

2. दूसरी किस्त:-

पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदार को मूल्यांकन पूरा होने के 45 दिनों के भीतर दूसरी किस्त के लिए आवश्यक दस्तावेज भेजने होंगे। यदि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो ईटीपी को कोई निधियां जारी नहीं की जाएगी और किसी भी नई शुरूआत/ परियोजना विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. तीसरी किस्त:-

तीसरी किस्त के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रशिक्षुओं के प्रमाणीकरण के 6 महीने के भीतर विभाग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

******